

अरणीत दास

बनाम्

बिहार राज्य

9 मई, 2000

[के. टी. थॉमस और आर. सी. लाहोटी, न्यायाधीशगण]

आपराधिक कानून:

किशोर न्याय अधिनियम, 1986:

धारा 2 (एच) और 32-किशोर-आयु-महत्वपूर्ण तिथि का निर्धारण-आयोजित: जिस आंकड़े पर अभियुक्त को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है, वह तारीख है जिसके संदर्भ में व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। निर्धारित-अपराध करने की तारीख इस संबंध में अप्रासंगिक है।

धारा 32-किशोर-आयु निर्धारण-संबंधित कारकों पर विचार किया जाना-प्रासंगिक रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपी की आयु 16 वर्ष से अधिक थी और इसलिए, किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं थी-इस तरह के निष्कर्ष को सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 141-अनुपात निर्णय-उप-मौन का नियम-एक निर्णय नहीं-किसी मुद्दे पर सचेत रूप से विचार करने पर व्यक्त किया गया अनुपात निर्णय नहीं है और इसका बाध्यकारी प्रभाव नहीं हो सकता है।

कानूनों की व्याख्या:

आंतरिक सहायता-प्रस्तावना-यदि भाषा अस्पष्ट है तो विधायी इरादे को निर्धारित करने के लिए प्रस्तावना पर गौर करने की अनुमति है।

सिद्धांत:

उप-मौन का सिद्धांत. शब्द और वाक्यांश:

"किशोर" और "उपेक्षित किशोर" का अर्थ-किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 2 के संदर्भ में।

अपीलार्थी को दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के तहत एक अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के बाद उसे किशोर गृह भेज दिया। अपीलार्थी ने दावा किया कि वह एक किशोर था और इसलिए, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत सुरक्षा का हकदार है।

एसीजेएम ने अधिनियम की धारा 32 के तहत जांच करने का निर्देश दिया। अपीलार्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच के लिए भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किए गए ऐसे अन्य साक्ष्य प्राप्त करने पर, एसीजेएम ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी घटना की तारीख को 16 वर्ष से अधिक आयु का था और इसलिए, किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं थी। इस निष्कर्ष को सत्र न्यायालय ने अपील में और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में बरकरार रखा था।

अतः यह अपील इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न हुए:

सबसे पहले, अपीलार्थी की आयु किस तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किशोर है या नहीं। दूसरा, क्या आयु के बारे में निष्कर्ष, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा प्राप्त किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया है, बनाए रखा जा सकता है।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया:- 1.1 किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की योजना इसकी प्रयोज्यता को तभी लागू करने पर विचार करती है जब व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है या लाया जा सकता है। एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जो ऐसा करने के लिए सशक्त नहीं है या एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, उसे केवल व्यक्ति की स्पष्ट उम्र द्वारा निर्देशित एक राय बनानी होती है और यह राय बनाने की स्थिति में कि वह एक किशोर है, उसे पहले सक्षम प्राधिकारी के पास भेजना होता है, बशर्ते कि हिरासत में रखने और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई हो जो बीच में बीतने वाली अवधि के लिए की गई हो। सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की आयु के बारे में जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा ताकि तारीख के संदर्भ में इसका निर्धारण किया जा सके। उसके समक्ष व्यक्ति की उपस्थिति या उस तारीख के संदर्भ में जब व्यक्ति को अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उसके समक्ष लाया गया था, यह अप्रासंगिक है कि अपराध करने की तारीख पर व्यक्ति की उम्र क्या थी। [78-D; 79-8-C]

1.2 धारा की उप-धारा (1) में दो स्थानों पर 'है' शब्द का उपयोग किया गया है। 'उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति' के संयोजन में पठित अधिनियम की धारा 32 में यह भी सुझाव दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी को उसके समक्ष प्रस्तुत करने में एक घटना के संदर्भ में निष्कर्ष को दर्ज करने की आवश्यकता है, उस तारीख के संदर्भ में जब व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाता है और किसी दूरस्थ घटना के संदर्भ में नहीं, उस तारीख को जब अपराध किया गया था। (79-डी-ई)

2.1 अपराध की शुरुआत से पहले 'किशोर न्याय' शब्द सामाजिक न्याय को संदर्भित कर सकता है; विशिष्टता की शुरुआत के बाद, यह सामान्य न्यायिक अर्थों में न्याय को संदर्भित करता है। किशोर न्याय अधिनियम अपराध की शुरुआत के बाद न्याय प्रदान करता है। अपराध के जन्म के लिए सामाजिक कारक और निवारक उपाय, जो किशोर अपराध की जांच करेंगे, वैध रूप से सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं। एक बार एक लड़का या लड़की ने अपराध मान लिया है। उसके साथ व्यवहार

और न्याय वितरण प्रणाली के हाथों मुकदमा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा संभाला जाता है। इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण को अधिनियम की प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के कथन से समर्थन मिलता है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में एक समान किशोर न्याय प्रणाली स्थापित करना है जिसमें बच्चे को जेल में रखने या पुलिस द्वारा बंद करने से बचना है। और किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार, देखभाल, सुरक्षा आदि के लिए प्रावधान करना। संक्षेप में, अधिनियम द्वारा जिस क्षेत्र को शामिल करने की मांग की गई है, वह वह नहीं है जिसके कारण किशोर अपराध हुआ था, बल्कि वह क्षेत्र है जब किशोर अपराध कर चुका होता है, जिसे मृत्यु के बाद की देखभाल के लिए रखा जाता है। (81-ए-डी)

वेद कुमारी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम पर निबंध, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, पीपी 4 और 5 और किशोर न्याय अधिनियम आशुतोष मुखर्जी द्वारा, एस. सी. सरकार एंड संस पीपी द्वारा प्रकाशित 20-21, संदर्भित।

2.2 अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब सक्षम प्राधिकारी को उसके सामने लाया गया व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का यदि 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है, यदि किसी लड़की को इस तरह लाए जाने की तारीख को या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहले इस तरह से पेश किया जाता है, तो उसके समक्ष उपस्थित होना। अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) के अर्थ के भीतर यह पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति किशोर है, अपराध करने की तारीख अप्रासंगिक है। अगर ऐसा होता। संसद का इरादा रहा है, इसे इतना विशेष रूप से कहने से कोई नहीं रोक पाया था। (81-जी-एच; 82-ए)

3.1 सामान्य तौर पर शांतनु मित्र, भोला भगत और गोपीनाथ घोष के मामले इन प्रस्तावों के लिए प्राधिकरण हैं कि:

(i) अभियुक्त ने किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का जल्द से जल्द दावा नहीं किया है। अवसर या नीचे दिए गए किसी भी न्यायालय के

समक्ष, कानून के इरादे को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त अपीलार्थी को दिए जा रहे लाभ के रास्ते में नहीं आना चाहिए, भले ही याचिका इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाई गई हो;

(ii) इस दलील के समर्थन में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना करते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि वह एक किशोर था और यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं, तो सीमा रेखा के मामले में अभियुक्त को किशोर ठहराने का पक्ष लेना चाहिए और न्यायालय को इस पर भरोसा करना चाहिए।

और

(iii) अधिनियम के प्रावधान अनिवार्य हैं और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते समय, कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों वाले लोगों को किशोर के प्रति संवेदनशीलता और चिंता दिखानी चाहिए। [82-एफ-एच]

3.2 हालाँकि, इनमें से किसी भी मामले में विशिष्ट मुद्दा-किस तारीख (अपराध की तारीख या सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्ति को पेश करने की तारीख) के संदर्भ में, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या व्यक्ति किशोर था या नहीं, न तो उठाया गया था और न ही निर्णय लिया गया था। [82-एच; 83-ए]

शांतनु मित्रा बनाम प. बंगाल राज्य, (1998-]5 एस. सी. सी. 697; भोला भगत बनाम बिहार राज्य, [1997-]8 एस. सी. सी. 720; गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1984) पूरक एस. सी. सी. 228 और कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य, ए. आई. आर. (1989) पैट 217 को लागू नहीं किया गया।

दिलीप साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए. आई. आर. (1978) कलकत्ता 529 ने खारिज कर दिया।

3.3 एक निर्णय जो व्यक्त नहीं किया गया है, कारण के साथ नहीं है और किसी मुद्दे पर सचेत रूप से विचार करने पर आगे नहीं बढ़ा है, उसे बाध्यकारी प्रभाव घोषित करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। निर्णय में जो बच गया है वह अनुपात निर्णय नहीं है। यह उप-मौन का नियम है, तकनीकी अर्थों में जब कानून के किसी विशेष बिंदु को सचेत रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। [83-बी]

उत्तर प्रदेश राज्य v. सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, (1991)

4 एस. सी. सी. 138, पर।

4.1 प्रस्तावना बताती है कि अधिनियम का उद्देश्य किससे निपटना था। यदि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अस्पष्ट है तो न्यायालय को किसी अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ निकालने के लिए प्रस्तावना पर गौर करने की अनुमति है। प्रस्तावना विधायी उद्देश्य को खोलने की कुंजी है। यदि किसी अधिनियम में प्रयुक्त शब्द उनके अर्थ के बारे में संदेह पैदा कर सकते हैं, तो अधिनियम की इस तरह से व्याख्या करना उपयोगी होगा कि यह उस उद्देश्य के साथ सामंजस्य स्थापित करे, जो विधानमंडल के अपने उद्देश्य में था। देखें। (84-एफ-जी)

बराकर कोल कंपनी लिमिटेड और ईस्ट इंडियन कोल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ ए. आई. आर. (1961) एस. सी. 954 और कुंजा मुसलियार बनाम वेंकटचलम पोट्टी, ए. आई. आर. (1958) एस. सी. 246 पर भरोसा किया।

4.2 विधायी लक्ष्य और उद्देश्य यह दर्शाने के लिए होते हैं कि कानून जांच, जांच और मुकदमे के दौरान एक किशोर की देखभाल और अभिरक्षा का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, यानी उस समय से जब किशोर कानून प्रशासन और न्याय वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध है; यह किसी अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए उसके द्वारा उस कार्य के कार्यान्वयन की तारीख के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं

करता है। अधिनियम के लंबे शीर्षक से भी पता चलता है कि अधिनियम की सामग्री किशोरों से संबंधित न्याय पहलू है। (84-जी-एच; 85-ए)

5.1 तथापि, किशोरों के संबंध में विशेष अपराधों से संबंधित अध्याय VI के प्रावधानों पर इस निर्णय में विचार नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया, ऊपर लिया गया दृष्टिकोण अधिनियम के अध्याय VI (धारा 41 से 45) में आने वाले किशोर शब्द का अर्थ निर्धारित करने में भी कोई कठिनाई पैदा नहीं करेगा क्योंकि किसी भी या इन प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले किशोर के धारा 2 (i) में परिभाषित उपेक्षित किशोर की परिभाषा के भीतर आने की संभावना है, जिससे अधिनियम के अध्याय III के तहत किशोर बोर्ड द्वारा भी निपटा जाना होगा और ऊपर लिया गया दृष्टिकोण वहां भी लागू होगा। लेकिन अधिनियम के अध्याय VI के दायरे पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है और उस पहलू पर एक उपयुक्त मामले में ध्यान दिया जाना बाकी है। (85-बी-सी)

5.2 धारा 2 जो 'किशोर' और 'उपेक्षित किशोर' को परिभाषित करती है, यह कहते हुए शुरू होती है कि उसमें परिभाषित शब्दों का निर्धारित अर्थ होगा जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो। जहाँ तक वर्तमान संदर्भ का संबंध है, यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति किशोर है, वह तारीख है जब उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है। (85-डी)

6. जहाँ तक अपीलार्थी की आयु के संबंध में निष्कर्ष का संबंध है, यह साक्ष्य के मूल्यांकन पर आधारित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और इसके लिए दिए गए वैध कारणों पर विचार करने के बाद आया है। ए. सी. जे. एम. द्वारा दिए गए निष्कर्ष को सत्र न्यायालय ने अपील में और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में बनाए रखा है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। (85-ई-एफ)

आप. पुनरिक्षण सं. 713/1999 में पटना उच्च न्यायालय के 28.01.2000 दिनांकित निर्णय और आदेश से।'

अपीलार्थी के लिए यू. आर. ललित, एन. आर. चौधरी, जय प्रकाश पांडे और सोमनाथ मुखर्जी।

प्रत्यर्थी की ओर से अतिरिक्त सलिक्टर जनरल अल्ताफ अहमद, एल. आर. सिंह, बी. बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय आर. सी. लाहोटी, न्या.

05.09.1998 को थाना कदमकुआं, पटना में आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध सं. 574/1998 दर्ज किया गया था। एफ. आई. आर. के अनुसार, उस दिन एक अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 13.9.1998 को याचिकाकर्ता को उक्त अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। पर याचिकाकर्ता को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के बाद उसे किशोर गृह, पटना भेज दिया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह 18.09.1982 को पैदा हुआ था और इसलिए एक किशोर है, जो किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (इसके बाद संक्षेप में अधिनियम) के संरक्षण का हकदार है। याचिकाकर्ताओं का दावा अभियोजन पक्ष की ओर से विवादित था। A.C.J.M. ने अधिनियम की धारा 32 के तहत जांच करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता को मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच के लिए भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए ऐसे अन्य साक्ष्य प्राप्त करने पर, आई. डी. 1. ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता की आयु घटना की तारीख को 16 वर्ष से अधिक थी और इसलिए किशोर न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाने की आवश्यकता नहीं थी। सत्र न्यायालय ने अपील में और उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में इस निष्कर्ष को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता ने अपील करने की अनुमति के लिए यह याचिका दायर की है।

अनुमति प्रदान की गई।

विचार के लिए दो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले, यह पता लगाने के लिए कि वह किशोर है या नहीं, याचिकाकर्ता की आयु किस तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। दूसरा, क्या आयु के बारे में निष्कर्ष, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों

द्वारा प्राप्त किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया है, बनाए रखा जा सकता है।

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. आर. ललित ने प्रस्तुत किया है कि यह अपराध की तारीख है जो किशोर होने का दावा करने वाले व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के अनुसार यह वह तारीख है जिस पर व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया जाता है, जिसके संदर्भ में व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने की आवश्यकता होती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किशोर है या नहीं।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986, इसकी प्रस्तावना के रूप में यह उपेक्षित या अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए और अपराधी किशोरों से संबंधित कुछ मामलों के निर्णय के लिए एक अधिनियम है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण को (हमारे द्वारा दिए गए जोर के साथ) निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा:

मौजूदा बाल अधिनियमों के कामकाज की समीक्षा से संकेत मिलता है कि उन बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जो सामाजिक कुसमायोजन, अपराध या उपेक्षा की स्थितियों में पाए जा सकते हैं। वयस्कों के लिए उपलब्ध न्याय प्रणाली को किशोरों पर लागू करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। यह भी आवश्यक है कि पूरे देश में एक समान किशोर न्याय प्रणाली उपलब्ध हो जो देश में बदलती सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति के सभी पहलुओं से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान करे। ऐसे किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास में अनौपचारिक प्रणालियों और समुदाय आधारित कल्याण एजेंसियों की बड़ी भागीदारी की भी आवश्यकता है।

2. इस संदर्भ में, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

(i) देश में किशोर न्याय के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में जेल या पुलिस लॉक-अप में बंद न हो। किशोर कल्याण बोर्डों और किशोर न्यायालयों की स्थापना करके यह सुनिश्चित किया जा रहा है।

(ii) सामाजिक कुसमायोजन की किसी भी स्थिति में पाए जाने वाले बच्चे की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करना;

(iii) किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में आने वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए आवश्यक तंत्र और बुनियादी ढांचे की व्याख्या करना। उपेक्षित किशोरों के लिए अवलोकन गृह, किशोर गृह और अपराधी किशोरों के लिए विशेष गृह स्थापित करके इसे हासिल करने का प्रस्ताव है।

(iv) जांच और अभियोजन, निर्णय और स्वभाव, और देखभाल, उपचार और पुनर्वास के संदर्भ में किशोर न्याय के प्रशासन के लिए मानदंड और मानक स्थापित करना;

(v) उपेक्षित या सामाजिक रूप से असंबद्ध बच्चों के कल्याण में लगी किशोर न्याय की औपचारिक प्रणाली और स्वैच्छिक एजेंसियों के बीच उचित संबंध और समन्वय विकसित करना और विशेष रूप से उनकी जिम्मेदारियों और भूमिकाओं के क्षेत्रों को परिभाषित करना;

(vi) किशोरों के संबंध में विशेष अपराधों का गठन करना और उनके लिए दंड का प्रावधान करना;

(vii) किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम के अनुरूप देश में किशोर न्याय प्रणाली का संचालन करना।

3. जैसे ही इसके विभिन्न प्रावधान देश के विभिन्न हिस्सों में लागू होंगे, तदनुसार वे संबंधित विषयों के कानून की जगह लेंगे, यथा बाल अधिनियम, 1960 और इस विषय पर अन्य राज्य अधिनियमों जैसे विषय पर संबंधित कानून।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

अधिनियम की धारा 2 का खंड (एच) किशोर को निम्नानुसार परिभाषित करता है:- 2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो,-

xxx xxx xxx xxx

(ज) किशोर का अर्थ है एक लड़का जिसकी आयु सोलह वर्ष की नहीं हुई है या एक लड़की जिसकी आयु अठारह वर्ष की नहीं हुई है;

धारा 3 में प्रावधान है कि जहां किसी किशोर के खिलाफ जांच शुरू की गई है और ऐसी जांच के दौरान कोई किशोर ऐसा नहीं रह जाता है, तो इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जांच जारी रखी जा सकती है और ऐसे व्यक्तियों के संबंध में आदेश दिए जा सकते हैं जैसे कि ऐसा व्यक्ति किशोर बना रहा हो। अधिनियम के अध्याय II में किशोर कल्याण बोर्ड, किशोर न्यायालय, किशोर गृह, विशेष गृह, अवलोकन गृह और देखभाल के बाद के संगठनों जैसे किशोरों के लिए सक्षम अधिकारियों और संस्थानों की बात की गई है। अध्याय III उपेक्षित किशोरों के लिए प्रावधान करता है जिसमें धारा 17 भी शामिल है जो अनियंत्रित किशोरों के लिए प्रावधान करती है। अध्याय IV अपराधी किशोरों से संबंधित है। धारा 18 से 26 में निहित प्रावधानों में जमानती या गैर-जमानती अपराध के किशोर अभियुक्तों की जमानत और अभिरक्षा, उनके साथ व्यवहार करने का तरीका और अपराधी किशोरों के संबंध में या उनके खिलाफ पारित किए जाने वाले आदेशों का प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII के तहत कार्यवाही किशोर के खिलाफ सक्षम नहीं है। एक किशोर और एक गैर-किशोर व्यक्ति पर संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी कानून के तहत किसी भी अपराध के लिए किशोर को दोषी ठहराने के लिए कोई अयोग्यता नहीं है। फिर अधिनियम के लागू

होने की तारीख को किसी भी न्यायालय में लंबित किशोरों के संबंध में कार्यवाही के बारे में धारा 26 में विशेष प्रावधान हैं। अध्याय 5 (धारा 27 से 40) आम तौर पर अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारियों की प्रक्रिया और ऐसे अधिकारियों के आदेशों से अपील और संशोधन निर्धारित करता है। अध्याय VI (धारा 41 से 45) किशोरों के संबंध में विशेष अपराधों का प्रावधान करता है। अध्याय VII (धारा 46 से 63) में विविध प्रावधान हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि न तो किशोर की परिभाषा और न ही अधिनियम में निहित किसी अन्य प्रावधान में विशेष रूप से उस तारीख का प्रावधान है जिसके संदर्भ में लड़के या लड़की की उम्र निर्धारित की जानी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह किशोर है या नहीं।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि इसका उत्तर अधिनियम की धारा 32 में पाया जाना है जो निम्नानुसार है:

32. आयु का अनुमान और निर्धारण (1) जहां किसी सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत (साक्ष्य देने के उद्देश्य के अलावा) उसके समक्ष लाया गया कोई व्यक्ति किशोर है, तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति की उम्र के बारे में उचित जांच करेगा और उस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित कार्य करेगा: ऐसा साक्ष्य जो आवश्यक हो और यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या नहीं, जिसमें उसकी आयु लगभग बताई जाएगी।

(2) किसी सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश केवल किसी भी बाद के प्रमाण से अमान्य नहीं समझा जाएगा कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया है वह किशोर नहीं है, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई आयु उस व्यक्ति की आयु है जिसे इस प्रकार उसके सामने लाया गया है, इस अधिनियम के उद्देश्य से, उस व्यक्ति की वास्तविक आयु मानी जाएगी।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश को उस व्यक्ति की उम्र के संबंध में अपील और/या संशोधन में

निर्णय के अधीन एक अंतिमता दी गई है और उस निष्कर्ष को दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र तब शुरू होता है जब व्यक्ति को उसके सामने लाया जाता है। यह वह अभिव्यक्ति है जो उस तारीख का महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है जिसके संदर्भ में आयु निर्धारित की जानी है।

अधिनियम में कई प्रावधान हैं जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष व्यक्ति की पहली उपस्थिति का प्रावधान करते हैं। धारा 2 के खंड (डी) में सक्षम प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है, उपेक्षित किशोरों के संबंध में, अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित एक किशोर कल्याण बोर्ड और अपराधी किशोरों के संबंध में, किशोर न्यायालय और जहां ऐसा कोई बोर्ड या किशोर न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, उसमें बोर्ड या किशोर न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत सशक्त कोई भी न्यायालय शामिल है। धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत, जहां किसी भी क्षेत्र के लिए कोई बोर्ड या किशोर न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, बोर्ड या किशोर न्यायालय को अधिनियम द्वारा या उसके तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उस क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट या उप-मंडल मजिस्ट्रेट या किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। बोर्ड या किशोर न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, जब कार्यवाही उनके सामने अपील, संशोधन या अन्यथा आती है।

अधिनियम की योजना इसकी प्रयोज्यता को केवल तभी लागू करने पर विचार करती है जब व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है या लाया जा सकता है। धारा 8 के तहत, जब कोई मजिस्ट्रेट जो इस अधिनियम के तहत बोर्ड या किशोर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं है, की राय है कि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उसके सामने लाया गया व्यक्ति (अन्यथा साक्ष्य देने के उद्देश्य से) एक किशोर है, तो वह ऐसी राय दर्ज करेगा और किशोर और कार्यवाही का रिकॉर्ड कार्यवाही पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को

भेजेगा। जिस सक्षम प्राधिकारी को कार्यवाही इस प्रकार अग्रेषित की जाती है, वह जाँच इस प्रकार करेगा जैसे कि किशोर को मूल रूप से उसके समक्ष लाया गया था।

धारा 18 के तहत, जब किसी जमानती या गैर-जमानती अपराध का आरोपी कोई व्यक्ति और जाहिरा तौर पर एक किशोर को गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है या किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या लाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जमानत पर तब तक रिहा किया जाएगा जब तक कि इसके लिए उचित आधार न दिखाई दें: यह मानते हुए कि रिहाई उसे किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ सकती है या उसे नैतिक खतरे में डाल सकती है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर सकती है। बाद के मामले में, व्यक्ति को एक अवलोकन गृह या सुरक्षा स्थान में रखा जाना चाहिए जब तक कि उसे किशोर न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। किशोर न्यायालय यदि व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं करता है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि उसके समक्ष जांच लंबित रहने के दौरान उसे किसी निरीक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर भेजा जाना चाहिए। धारा 20 के तहत, जहां अपराध के आरोप में एक किशोर किशोर न्यायालय के समक्ष पेश होता है या पेश किया जाता है, किशोर न्यायालय धारा 39 के प्रावधानों के अनुसार जांच करेगा। ऊपर उल्लिखित इन सभी प्रावधानों को पढ़ने से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि किशोर की उम्र के बारे में जांच तभी की जानी चाहिए जब उसे सक्षम प्राधिकारी के सामने लाया जाए या पेश किया जाए। एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट जिसे कार्य करने का अधिकार नहीं है या जो एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, उसे केवल व्यक्ति की स्पष्ट आयु से निर्देशित एक राय बनानी होती है और यह राय बनाने की स्थिति में कि वह एक किशोर है, उसे उसे जल्द से जल्द सक्षम प्राधिकारी के पास भेजना होता है, बशर्ते कि हिरासत में रखने और बीच में बीतने वाली अवधि के लिए व्यक्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। सक्षम प्राधिकारी उसके समक्ष व्यक्ति के उपस्थित होने की तारीख के संदर्भ में या उस तारीख के संदर्भ में जब व्यक्ति को अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत उसके सामने लाया गया था, उस व्यक्ति की

उम्र के बारे में जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा। यह अप्रासंगिक है कि अपराध करने की तारीख पर व्यक्ति की उम्र क्या थी। कोई अन्य व्याख्या संसद द्वारा अधिनियम का मसौदा तैयार करने में नियोजित योजना और वाक्यांश में फिट नहीं होगी।

अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) में दो स्थानों पर इस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसे उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति के संयोजन में पढ़ा जाता है, यह भी सुझाव देता है कि सक्षम प्राधिकारी को उसके समक्ष वर्तमान में किसी घटना के संदर्भ में निष्कर्ष को दर्ज करने की आवश्यकता है, यानी उस तारीख के संदर्भ में जब व्यक्ति को उसके सामने लाया जाता है, न कि किसी दूरस्थ घटना के संदर्भ में, यानी उस तारीख को जब अपराध किया गया था।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अधिनियमन से पहले विभिन्न राज्यों में कई कानून प्रचलित थे और पूरे भारत के लिए किशोरों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता संसद सहित विभिन्न मंचों पर व्यक्त की गई थी। इस तरह के एक समान कानून को इस आधार पर अधिनियमित नहीं किया जा रहा था कि इस तरह के कानून का विषय संविधान की राज्य सूची में आता है। किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों ने संसद को संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाया, जिसे संघ सूची की प्रविष्टि 14 के साथ पढ़ा गया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरे भारत के लिए कोई भी कानून बनाया जा सके (वेद कुमारी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम पर निबंध/अभिलेख, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, पृष्ठ 5 देखें)। 1985 में महासभा द्वारा भाग-I के अध्याय 2 और 5 के माध्यम से अपनाए गए उक्त संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, जिन्हें बीजिंग नियम कहा जाता है, निम्नानुसार प्रदान करते हैं:

2. उपयोग किए गए नियमों और परिभाषाओं का दायरा

2.1 निम्नलिखित मानक न्यूनतम नियम किशोर अपराधियों पर निष्पक्ष रूप से, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, उदाहरण के लिए नस्ल, रंग, लिंग, भाषा,

धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति या अन्य विचारों के रूप में लागू किए जाएंगे।

2.2 इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाओं को सदस्य राज्यों द्वारा इस तरह से लागू किया जाएगा जो उनकी संबंधित कानूनी प्रणालियों और अवधारणाओं के अनुरूप हैं:

(क) एक किशोर एक बच्चा या युवा व्यक्ति है, जिसे संबंधित कानूनी प्रणालियों के तहत, एक अपराध के लिए इस तरह से निपटा जा सकता है जो एक वयस्क से अलग है।

(ख) अपराध कोई भी व्यवहार (कार्य या चूक) है जो संबंधित कानूनी प्रणालियों के तहत कानून द्वारा दंडनीय है।

(ग) एक किशोर अपराधी एक बच्चा या युवा व्यक्ति है जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है या जिसने कोई अपराध किया है।

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

2.3 प्रत्येक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में, किशोर अपराधियों और किशोर न्याय के प्रशासन के कार्यों को सौंपे गए संस्थानों और निकायों के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों, नियमों और प्रावधानों का एक समूह स्थापित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे और इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी:

(क) किशोर अपराधियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा करते हुए

(ख) समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए; और

(ग) निम्नलिखित नियमों को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से लागू करना।

xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx

5. किशोर न्याय के उद्देश्य

5.1 किशोर न्याय प्रणाली किशोर की भलाई पर जोर देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि किशोर अपराधियों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया हमेशा अपराधियों और अपराध दोनों की परिस्थितियों के अनुपात में होगी।

[स्रोत: एस. सी. सरकार एंड संस द्वारा प्रकाशित आशुतोष मुखर्जी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, पृ. 20-21]

अपराध की शुरुआत से पहले किशोर न्याय शब्द सामाजिक न्याय को संदर्भित कर सकता है; अपराध की शुरुआत के बाद, यह अपने सामान्य न्यायिक अर्थों में न्याय को संदर्भित करता है। (किशोर न्याय देखिए: अपराध की शुरुआत से पहले और बाद में, अपराध की रोकथाम और अपराधियों के उपचार पर 6 वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस के लिए सचिवालय द्वारा तैयार किया गया कार्य पत्र, द ट्रीटीज, वेद कुमारी, आई. बी. आई. डी. के पृष्ठ 4 पर उद्धृत किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम अपराध की शुरुआत के बाद न्याय प्रदान करता है। अपराध के जन्म के लिए सामाजिक कारक और निवारक उपाय जो किशोर अपराध की वैध रूप से जांच करेंगे, सामाजिक न्याय के दायरे में आते हैं। एक बार जब कोई लड़का या लड़की अपराध कर लेता है, तो उसका व्यवहार और न्याय वितरण प्रणाली के माध्यम से मुकदमा किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार लिए गए दृश्य को प्रस्तावना से अधिनियम और उद्देश्यों और कारणों का विवरण का समर्थन मिलता है। प्रस्तावना अपराध के बाद की चीजों के लिए प्रावधान करने वाले अधिनियम के लिए बोलती है। वस्तुओं और कारणों के कथन में प्रयुक्त कई अभिव्यक्तियाँ मुखर रूप से इस दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में एक समान किशोर न्याय प्रणाली स्थापित करना है जिसमें बच्चे को जेल में रखने या पुलिस द्वारा बंद करने से बचना है। और किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार, देखभाल, सुरक्षा आदि के

लिए प्रावधान करना। संक्षेप में, अधिनियम द्वारा जिस क्षेत्र को शामिल करने की मांग की गई है, वह वह नहीं है जिसके कारण किशोर अपराध हुआ था, बल्कि वह क्षेत्र है जब किशोर अपराध कर चुका होता है, जिसे अपराध के बाद की देखभाल के लिए रखा जाता है।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. आर. ललित से एक सवाल पूछा कि क्या होता है यदि 16 या 18 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का या लड़की कोई अपराध करता है और फिर देश छोड़ देता है या किसी भी कारण से न तो उपस्थित होता है और न ही सक्षम प्राधिकारी के सामने लाया जाता है जब तक कि वह 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है? यदि अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सुझाई गई व्याख्या को स्वीकार किया जाना है, तो उसे एक किशोर गृह, विशेष गृह या एक अवलोकन गृह में भेजा जाना चाहिए या एक देखभाल के बाद के संगठन को सौंपा जाना चाहिए जहां सभी 16 या 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और लड़कियां होंगी। क्या उसे किशोर कल्याण बोर्ड या किशोर न्यायालय द्वारा निपटाए जाने की आवश्यकता होगी? विद्वान वरिष्ठ वकील के पास अंत तक कोई जवाब नहीं था और उन्हें अंततः हार माननी पड़ी। इसलिए, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब सक्षम प्राधिकारी को पता चले कि उसके सामने लाया गया व्यक्ति या उसके सामने पेश होने वाला व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु का है, यदि कोई लड़का है और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है, तो इस तरह लाए जाने की तारीख को या सक्षम प्राधिकारी के सामने पहले इस तरह से पेश होने पर। अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) के अर्थ के भीतर यह पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति किशोर है, अपराध करने की तारीख अप्रासंगिक है। यदि संसद का यही इरादा होता, तो उसे ऐसा विशेष रूप से कहने से कोई नहीं रोकता था।

अधिनियम की धारा 3 विधायी इरादे के लिए एक संकेत भी प्रदान करती है। इसमें किशोर के खिलाफ शुरू की गई जांच को जारी रखने और उस पर आदेश देने का प्रावधान है, भले ही ऐसा व्यक्ति ऐसी जांच के दौरान किशोर न रहा हो। धारा 3 को

लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं होती अगर अपराध की तारीख के संदर्भ में केवल किशोर की उम्र निर्धारित की जाती।

अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री यू. आर. ललित ने शांतनु मित्र बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य 1998 (5) एस. सी. सी. 697, भोला भगत बनाम बिहार राज्य 1997 (8) एस. सी. सी. 720 और गोपीनाथ घोष बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य 1984 सप्लीमेंट की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। एस. सी. सी. 228 और कई अन्य निर्णय जिन्हें हम उनमें से अधिकांश के लिए अलग से सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, उन्हें भोला भगत (उपरोक्त) में निर्णय के पैरा 14 और 15 में संदर्भित किया गया है। श्री ललित ने जिस बात पर जोर दिया है, वह यह है कि इन सभी मामलों में यह प्रश्न कि क्या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त/अपीलार्थी के रूप में प्रस्तुत किया गया व्यक्ति किशोर था या नहीं, घटना की तारीख या अपराध करने की तारीख पर अभियुक्त की उम्र को ध्यान में रखते हुए तय किया गया था। हमने इन सभी फैसलों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया है। इन सभी मामलों में अदालत के समक्ष प्रतिस्पर्धा करने वाले पक्षों ने यह मानते हुए अपनी दलीलें दी हैं कि अपराध की तारीख किशोर की उम्र निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक तारीख थी। तदनुसार, इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले के तथ्यों की जांच करने के बाद, अपराध की घटना की तारीख को अभियुक्त की उम्र के बारे में एक निष्कर्ष दर्ज किया। आम तौर पर ये मामले इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण हैं कि (i) किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का दावा जल्द से जल्द या नीचे दिए गए किसी भी न्यायालय के समक्ष नहीं करने वाले अभियुक्त की तकनीकीता, कानून के इरादे को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त अपीलार्थी को दिए जा रहे लाभ के रास्ते में नहीं आनी चाहिए, भले ही याचिका इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाई गई हो; (ii) इस याचिका के समर्थन में अभियुक्त की ओर से दिए गए साक्ष्य की सराहना करते हुए एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए कि वह एक किशोर था और यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हो सकते हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को सीमा रेखा मामलों में किशोर ठहराने के पक्ष में झुकना चाहिए; और (iii) अधिनियम के प्रावधान अनिवार्य है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते

समय कार्यान्वयन की जिम्मेदारियों वाले लोग को एक किशोर के लिए संवेदनशीलता के मामले और चिंता दिखानी चाहिए, हालांकि किसी भी विशिष्ट मुद्दे में किस तारीख (अपराध की तारीख या सक्षम अधिकारी के समक्ष व्यक्ति की पेशी की तारीख) के संदर्भ में, न्यायालय यह निर्धारित नहीं करेगा कि व्यक्ति किशोर था या नहीं, न ही उठाया गया था और न ही निर्णय लिया, व्यक्त किया गया था।

एक निर्णय जो व्यक्त नहीं किया गया है, कारणों के साथ नहीं है और किसी मुद्दे पर सचेत रूप से विचार करने पर आगे नहीं बढ़ा है, उसे बाध्यकारी प्रभाव घोषित करने वाला कानून नहीं माना जा सकता है जैसा कि अनुच्छेद 141 द्वारा विचार किया गया है। निर्णय में जो बच गया है वह अनुपात निर्णय नहीं है। यह उप-मौन का नियम है, तकनीकी अर्थों में जब कानून के एक विशेष बिंदु को सचेत रूप से निर्धारित नहीं किया गया था। (देखें यू. पी. राज्य बनाम सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड 1991 (4) एस. सी. सी. 138, पैरा 41)।

दिलीप साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ए. आई. आर. 1978 कलकत्ता 529 और कृष्ण भगवान बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1989 पटना 217 पर वरिष्ठ अधिवक्ता ललित ने दृढ़ता से भरोसा करते हुए कहा कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिए दो उच्च न्यायालयों के समक्ष उपस्थित थे। हमने दोनों फैसलों की जांच की है। दिलीप साहा (ऊपर) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल बाल अधिनियम, 1959 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए यह विचार रखा है कि अपराध के समय अभियुक्त की आयु पश्चिम बंगाल बाल अधिनियम, 1959 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए प्रासंगिक आयु है न कि मुकदमे के समय उसकी आयु। पैराग्राफ 22 से 24 के बीच पूर्ण पीठ ने यह विचार रखने के लिए दो कारण बताए हैं जो उसने किए हैं जो हमारी राय में दोनों गलत हैं। एक कारण यह है कि उस अधिनियम की धारा 24 के अनुसार किसी बच्चे को मृत्युदंड या सामान्य रूप से कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है, फिर उस व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है जो अपराध की तारीख को एक बच्चा था, लेकिन जांच या मुकदमा शुरू होने की तारीख को ऐसा होना

बंद हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप बच्चे को दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप मौत या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन होगा जो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर किसी भी व्यक्ति को उससे अधिक दंड के अधीन होने से रोकता है जो हो सकता है। अपराध करने के समय लागू कानून के तहत लागू किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि संविधान का अनुच्छेद 20 (1) केवल तभी लागू होगा जब अधिनियम की प्रयोज्यता अपराध की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की गई थी, लेकिन यदि यह जांच या मुकदमे के शुरू होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया गया था तो अनुच्छेद 20 (1) लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया दूसरा कारण यह है कि जांच अधिकारी जांच में देरी करके और आरोपी को मुकदमे के लिए पेश करके अधिनियम के प्रावधानों के आरोपी लाभ से इनकार कर सकता है और इस तरह अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर सकता है। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा अवसर बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि मुकदमा शुरू होने से पहले कुछ समय ऐसा आएगा जब अभियुक्त को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाना होगा और वह तारीख इस तथ्य का निर्धारण करेगी कि अभियुक्त किशोर था या नहीं। जहां तक पटना उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कृष्ण भगवान के मामले का संबंध है, यह देखने के लिए पर्याप्त है कि निर्णय का प्रारंभिक भाग ही इंगित करता है कि हमारे सामने रखा गया प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाला प्रश्न नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए गए और उत्तर दिए गए दोनों प्रश्न अलग-अलग थे। उच्च न्यायालय को इन मुद्दों से अवगत कराया गया था कि मुकदमे के समापन से पहले बच्चे की घटना का क्या प्रभाव होगा और किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के तहत याचिका का प्रभाव निचली अदालत के समक्ष नहीं लिया गया था और मुकदमा अधिनियम के प्रावधानों से बेखबर होकर आगे बढ़ा था। चर्चा के दौरान पूर्ण पीठ ने कहा कि किशोर वह है जो अपराध करने की तारीख को एक निश्चित उम्र से कम था, लेकिन अवलोकन भी एक धारणा पर आधारित है और निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष विचार-विमर्श का विषय नहीं है।

इस सारी कवायद से बचा जा सकता था अगर केवल विधानमंडल ने इस बात का ध्यान रखा होता कि किशोर की परिभाषा में कोई अस्पष्टता न रहे और स्पष्ट रूप से उस समय के बिंदु को निर्दिष्ट किया होता जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति को किशोर खोजने के लिए आयु निर्धारित की जानी थी। अस्पष्टता को प्रस्तावना और उद्देश्यों और कारणों के कथन को ध्यान में रखते हुए हल किया जा सकता है। प्रस्तावना बताती है कि अधिनियम का उद्देश्य किससे निपटना था। यदि संसद द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा अस्पष्ट है तो न्यायालय को किसी अधिनियम के प्रावधानों का अर्थ लगाने के लिए प्रस्तावना पर गौर करने की अनुमति है। एम/एस बराकर कोल कंपनी लिमिटेड और मेसर्स. ईस्ट इंडियन कोल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 954)। इस न्यायालय ने ए. थंगल कुंजू मुसलियार बनाम एम. वेंकटचलम पोट्टी ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 246 में कहा कि एक कानून की प्रस्तावना को इसके अर्थ का पता लगाने का एक अच्छा साधन कहा गया है और जैसा कि यह था, इसे समझने की कुंजी है। प्रस्तावना विधायी उद्देश्य को खोलने की कुंजी है। यदि किसी अधिनियम में प्रयुक्त शब्द उनके अर्थ के बारे में संदेह पैदा कर सकते हैं, तो अधिनियम की इस तरह से व्याख्या करना उपयोगी होगा ताकि इसे उस उद्देश्य के साथ सुसंगत बनाया जा सके जो विधानमंडल के विचार में था। इस निर्णय के पूर्व भाग में निर्धारित विधायी उद्देश्यों और उद्देश्यों से यह पता चलता है कि यह विधान जांच, जांच और मुकदमे के दौरान एक किशोर की देखभाल और अभिरक्षा का ध्यान रखने के लिए बनाया गया है, यानी उस समय से जब किशोर कानून प्रशासन और न्याय वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध है; यह अपराध में शामिल व्यक्ति के लिए उसके द्वारा अपराध करने की तारीख के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं करता है। अधिनियम के लंबे शीर्षक से भी पता चलता है कि अधिनियम की सामग्री किशोरों से संबंधित न्याय पहलू है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने किशोरों के संबंध में विशेष अपराधों से संबंधित अध्याय VI के प्रावधानों पर विचार नहीं किया है। प्रथम दृष्टया, हमें लगता है कि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, उससे अध्याय VI (अधिनियम की धारा 41 से 451) में आने वाले किशोर शब्द के अर्थ पर नियत करने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि

इनमें से किसी भी प्रावधान से वंचित किशोर, धारा 2 के खंड 1 में परिभाषित उपेक्षित किशोर की परिभाषा के भीतर आ सकता है, जिसे अधिनियम III के तहत एक किशोर बोर्ड द्वारा भी निपटाया जाना होगा और हमारे द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भी वहाँ लागू होगा। हालाँकि, हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। अधिनियम के अध्याय VI का दायरा और उस पहलू को उपयुक्त मामले में ध्यान रखने के लिए छोड़ दें। किसी भी रूप में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। धारा 2 जो किशोर को परिभाषित करती है, वह यह कहकर शुरू होती है कि जब तक पाठ में अन्यथा आवश्यक संदर्भ का संबंध है, हमारे मन में वह स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किशोर है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तिथि है जब उसे सक्षम अधिकारी के सामने लाया जाता है। जहाँ तक अपीलकर्ता की उम्र से संबंध में निष्कर्ष का सवाल है, यह सबूतों की सराहना पर आधारित है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और इसके लिए दिए गए वैध कारणों पर विचार करने के बाद आया है। यह निष्कर्ष विद्वान ए.सी.जे.एम. द्वारा निकाला गया। अपील में सत्र न्यायालय और पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही ठहराया गया है। इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

[k.Mu (fMLDysej) %& LFkkuh; Hkk'kk esa fu.kZ; ds vuqokn dk vk''k;] i{kdkjksa dks bls viuh Hkk'kk esa le>us ds mi;ksx rd gh lhfer gS vkSj vU; iz;kstUkkFkZ bldk mi;ksx ugha fd;k tk ldrkA leLr O;ogkfjd]

**dk;kZy;h] U;kf;d ,oa ljdkjh iz;kstukFkZ] fu.kZ; dk
vaxzsth laLdj.k gh izekf.kd gksxk lkFk gh fu'iknu rFkk
dk;kZUo;u ds iz;kstukFkZ vuqekU; gksxkA**